

धारा 46 : विवरणी व्यतिक्रमियों को सूचना

जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है वहां पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए, उससे विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी।
